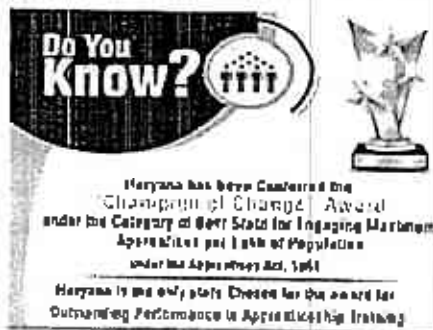


Skill Dev. and Industrial Training Deptt. Haryana,
Plot No. IP-2, Sector-3, Majri Chowk, Panchkula.
E-mail: aaa.iti@haryana@gmail.com

Issued through E-mail only

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में।
2. सभी गण्डल आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
3. सभी प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रशासक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी बोर्ड/कॉर्पोरेशन/निगमों/अधिकरण/परिषदों और राज्य सरकार अधीन अन्य उपक्रम, हरियाणा राज्य में।
4. सभी रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य में।
5. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: TA/NAPS/2016/Stipend/2113-2117

दिनांक: 14/6/2018

अप्रैटिस एक्ट, 1961 के तहत डैजिनेटिड ट्रेड्स के सातवें चरण, ऑप्शनल ट्रेड के चतुर्थ चरण में अप्रैटिस लगाने वाले दिशा-निर्देश।

निदेशालय के पत्र क्रमांक TA/NAPS/2016/Stipend/1710-14 दिनांक 16-04-2018 जिसके द्वारा डैजिनेटिड ट्रेड्स के छठे चरण, ऑप्शनल ट्रेड के तृतीय चरण में समतुल्य तरीके से अप्रैटिस लगाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, के संदर्भ में अनुरोध किया जाता है कि इस चरण के तहत बांछित कार्रवाई तत्परता से पूर्ण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि डैजिनेटिड ट्रेड्स के सातवें चरण, ऑप्शनल ट्रेड के चतुर्थ चरण में अप्रैटिस लगाने वाले निम्न अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

1. राज्य सरकार के अधीन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के शेष कार्यालयों का अप्रैटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि : 20.06.2018
2. सभी रजिस्टर्ड कार्यालयों द्वारा डैजिनेटिड ट्रेड्स एवं ऑप्शनल ट्रेड्स की रिक्तिओं का पोर्टल पर सृजन/परिवर्तन की अंतिम तिथि:- 20.06.2018
3. उम्मीदवारों से पोर्टल पर आवेदन स्वीकार करने के अंतिम तिथि:- 02.07.2018
4. संबंधित कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों का चयन, अनुमोदन तथा पोर्टल पर शिक्षता वंच पत्र के सृजन की अंतिम तिथि:- 10.07.2018
5. अनुमोदित उम्मीदवारों द्वारा शिक्षता प्रशिक्षण हेतु तत्परता होने की अंतिम तिथि : 20.07.2018

यह भी सूचित किया जाता है कि इस विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 11 ऑप्शनल ट्रेडों में भी आवश्यकता अनुसार शिक्षता प्रशिक्षण हेतु सीटें सृजित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के भद्रदेनजर आपसे अनुरोध है कि आप अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के नोडल अधिकारियों को उपरोक्त अनुसार तुरंत आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करें।

यह आपको सूचनाएँ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संजीव दास

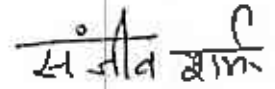
उप शिक्षता सहायकार
कृत: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा, पंचकुला।

पत्र क्रमांक: TA/NAPS/2016/Stipend/2118

दिनांक: 14/6/2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. सहायक शिक्षता सलाहकार एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर। निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने जिले के सभी कार्यालयों से संपर्क कर उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार शिक्षु नियुक्त करवाने हेतु वांछित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें तथा उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षता कमेटी की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग आयोजित करवाएं।
2. सभी प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई संस्थान, हरियाणा राज्य में।
3. राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्राओं के नोडल अधिकारी।



उप शिक्षता सलाहकार
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

प्रतिलिपि:

- PS/ACSSD&IT,
- PA/D. SD&IT,
- Nodal Officer website at H.Q.

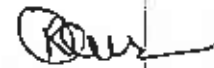
OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH

Endst No. Estt./ 03/2018/ 20412-612

Dated 15/06/18

A copy of the above instruction is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 All Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court.
- 2 Addl. Labour Commissioner (NCR) Gurgaon.
- 3 All Dy. Labour Commissioner in Haryana State.
- 4 All Dy. Director (IS&H) in Haryana State
- 5 All Dy. Director (I&H) in Haryana State
- 6 All Joint Director, IS&H, in Haryana State.
- 7 All Asstt. Labour Commissioner in Haryana State
- 8 All Asstt. Director (IS&H) in Haryana State
- 9 All Asstt. Director, IS&H (c), in Haryana State
- 10 All Asstt. Director (I H & Certifying Surgeon) in Haryana State
- 11 All Officer Headquarter.



Dy. Superintendent (Estt.)
For Labour commissioner, Haryana